समाचार.प्रकाषनार्थरू.

कबाड़ा व्यवसायियों ने हटाया अपना कबाड़

नोटिस के बाद भी कबाड़ा नहीं हटाने पर नगर निगम हटायेगा कबाड़

15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से संबंधित से वसूल होगी राषि

ज्वलनषील पदार्थ व कबाड़ के व्यापारी षहर से अपने गोडाउन तत्काल हटा लें

रतलाम 30 अक्टूबर । रतलाम षहर में मोहन नगर व लक्कड़पीठा क्षेत्र जैसी आगजनी की घटना भविश्य में ना हो इस हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर निगम द्वारा नगर में कबाड़ सेन्टरए प्लास्टिकए प्लास्टिक से निर्मित सामग्रीए लकड़ीए तेलए आयलए डीजलए गैस सिलेण्डर एवं अन्य खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन व दुकानें हटाये जाने हेतु दिये गये नोटिस के बाद भी गोदाम नहीं हटाने पर गोदाम हटाने की कार्यवाही कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार की जा रही है जिसके तहत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित 18 कबाड़ सेंटरो को खाली कराये जाने हेतु नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किये गये जाने के तहत आधे से अधिक कबाड़ा व्यवसायियों ने अपने कबाड़ को हटा लिया है षेश बचे कबाड़ सेंटरो से नगर निगम द्वारा कबाड़ हटाया जाकर संबंधित से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से राषि वसूली जायेगी।

नगर निगम द्वारा बिरियाखेड़ी नाले के पास 4ए बीएसएनएल स्टोर बिरियाखेड़ी 2ए सुभाश नगर ब्रीज के पास 3ए हाट रोड विनोबा स्कूल के गेट के सामने 2ए मौमिनपुरा कसाई मण्डी में 3ए नाहरपुरा में 1ए जावरा रोड क्षेत्र में 2 व दिलीप नगर मे 1 कबाड़ सेंटर को कबाड़ हटाने हेतु नोटिस जारी किया गया था जिसके तहत आधे से अधिक कबाड़ व्यवसायियों द्वारा हटा लिया गया है ऐसे षेश बचे कबाड़ा व्यवसायी जो अपना कबाड़ा नहीं हटायेगा उसे नगर निगम द्वारा हटाया जाकर 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से संबंधित से राषि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि वर्तमान समय में कलेक्टर महोदय द्वारा ज्वलनषील पदार्थो के भण्डारण पर धारा 144 लागू की गई है। नगर निगम के द्वारा 6 माह पूर्व ज्वलनषील पदार्थो का भण्डारण करने वाले व्यापारियों को अपने गोडाउन षहर से हटाने का नोटिस जारी किये गये थे। ऐसे

व्यापारी जिन्होने नोटिस जारी होने के बाद भी ज्वलनषील पदार्थ कबाड़ सेन्टरए प्लास्टिकए प्लास्टिक से निर्मित सामग्रीए लकड़ीए तेलए आयलए डीजलए गैस सिलेण्डर एवं अन्य मानव जीवन के लिये हानिकारक खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन नहीं हटायें हैं वे षहर से तत्काल अपने गोडाउन हटा लें अन्यथा नगर निगम एक्ट के तहत चलाये जा रहे अभियान के तहत हटाया जाकर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

त्रिवेणी मेले में आज होगी पंडित गोपाल कृशण षर्मा की भजन संध्या

रतलाम 30 अक्टूबर । नगर निगम द्वारा आयोजित त्रिवेणी मेले में रात्रि में नागरिकों के मनोरंज हेतु 31 दिसम्बर 2021 से 03 जनवरी 2022 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये है जिसके तहत 31 दिसम्बर षुक्रवार को सांय 6 बजे से पंडित गोपल कृशण षर्मा की भजन संध्या का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में 01 जनवरी 2022 षनिवार को कवि सम्मेलन आमंत्रित कवि है सर्वश्री सफर जौनपुरी.नागपुरए दिनेष सिंदल.जोधपुरए अषोक नागर.षाजापुरए धीरज षर्मा.नालछा व निसार पठान.मेघनगर है। 02 जनवरी 2022 को आदिवासी लोक नृत्य ;षषांक तिवारी द्वाराद्ध व मेले के अंतिम दिन 03 जनवरी 2022 को श्री सत्यवीर तेजाजी महाराज की कथा का आयोजन किया गया है।

मेले में वे ही नागरिक आये जिन्होने कोरोना के दोनो टीके लगवाये है साथ ही अनिवार्य रूप से मास्क लगायें व सोष्यल डिस्टेसिंग का पालन करें।

तिरूपति नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 14ण्75 लाख व जलकर 3ण्32 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 30 दिसम्बर । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822रु. व जलकर 54ए850रु.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575रु. व जलकर 34ए520रु.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013रु. व जलकर 63ए450रु.ए विनोबा नगर पानी की टंकी के पास आयोजित षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292रु. व जलकर 1ए19ए720रु.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर आयोजित षिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857रु. व जलकर 62ए950रु. की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 के लिये 31 दिसम्बर को तिरूपति नगरए वार्ड क्रमांक 8 के लिये 1 जनवरी को कोमल नगर मेन रोडए वार्ड क्रमांक 5ए 7 व 9 के लिये 3 से 4 जनवरी को मार्निंग स्टार स्कूलए वार्ड क्रमांक 12 के लिये 5 से 7 जनवरी तक कस्तुरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामनेए वार्ड क्रमांक 12 के लिये 8 जनवरी को प्रियदर्षनी नगरए वार्ड क्रमांक 11 के लिये 10 से 11 जनवरी तक को डोंगरे नगरए वार्ड क्रमांक 46ए 47 व 48 के लिये 12 जनवरी को हाट रोड माताजी का मंदिरए वार्ड क्रमांक 11 के लिये 13 जनवरी को कलीमी कालोनीए वार्ड क्रमांक 18 के लिये 14 जनवरी को राजेन्द्र नगरए वार्ड क्रमांक 14ए 15ए 46 व 48 के लिये 15 व 17 जनवरी को डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगरए वार्ड क्रमांक 46 व 48 के लिये 18 जनवरी को वेदव्यास कालोनीए वार्ड क्रमांक 22 के लिये 19 जनवरी को कल्याण नगरए वार्ड क्रमांक 18ए 19 व 20 के लिये 20 से 21 जनवरी तक दीनदयाल नगरए वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 22ए 24 व 25 जनवरी को बोहरा बाखलए वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 27 जनवरी को रामगढ़ए वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28ए 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगरए वार्ड

क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को षिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को षास्त्री नगर संेट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम 30 दिसम्बर। सर्द रातों में नागरिकों की सुविधा को दृश्टिगत रखते हुए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल चिकित्सालयए जिला चिकित्सालयए पांजरा पोलए महू रोड बस स्टैण्डए बाजना बस स्टैण्डए सैलाना बस स्टैण्डए रेलवे स्टेषनए मुखर्जी नगरए कालिका माताए नगर निगमए फायर ब्रिगेडए चांदनी चौकए गौषाला रोड पेयजल टंकीए ऋतुराज सम्पवेल सहित नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

30 नवम्बर 72 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 30 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड

पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 30 दिसम्बर गुरूवार को 72 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

30 दिसम्बर गुरूवार को डम्पर से 24070ए टेªक्टर से 19890ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 13865 व काम्पेक्टर गीला कचरा 14400 किलो इस तरह कुल 72225 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

6595 पेंषन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंषन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 30 दिसम्बर । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंषनए राश्ट्रीय विधवा पेंषनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंषनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंषनए विधवा पेंषनए निःषक्त पेंषनए मानसिक बहुविकलांग पेंषन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देषानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 29 दिसम्बर बुधवार तक 6595 पंेषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 65ण्95 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंषन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नगर निगम के आईटी सेल में आवष्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

खुले में गंदगी करने पर 11 व्यक्तियों पर जुर्माना

मास्क नहीं लगाने पर 46 व्यक्तियों पर जुर्माना

नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 30 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 30 दिसम्बर को 11 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार खुले में गंदगी करने पर पवन गारमेंट माणक चौक पर 500ए ठाकुरदासए लक्ष्मी माणक चौक पर 200.200ए

तपन माणक चौक पर 150ए जयभारत किराना स्टोरए संजय माणक चौक पर 100. 100ए लखनए कमरूद्धीनए दिनेष माणक चौकए अनोखी सैलाना बस स्टैण्ड पर 50. 50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी। इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 20 व्यक्तियों पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईष दी गई। नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंह मोण नंण 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मोण नंण 7471144931ए श्री किरण चौहान मोण्नंण 7471144932ए श्री विनय चौहान मोण्नंण 8770535145ए श्री विराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मोण्नंण 7000128812ए आकाष षिन्दे मोण्नंण 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मोण्नंण 6268449110ए राकेष ललावत मोण्नंण 7000128812 को देकर नगर को साफ.स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

2663 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 91 हितग्राही हुए लाभान्वित
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 30 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2513 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 150 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 88 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 30 दिसम्बर । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें
रतलाम 30 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 30 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 30 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के

ढेरए नाले.नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्30ण्12ण्2021ध्नण्पाण्निगमए रतलामण्